

UNIVERSITY SENIOR SECONDARY MODEL SCHOOL, KURUKSHETRA

WALK-IN-INTERVIEW

The University Senior Secondary Model School, Kurukshetra has been allotted Sports Nursery in the game of "Hockey" (for mixed applicants) upto 31st January, 2025. The school accordingly intends to appoint a Hockey Coach for the said Hockey Nursery through a Walk-in-Interview scheduled for Hockey Coach (date) on 01-07-2024 at (time) in the Principal office (venue). 09:00 AM

Eligible candidates may attend the Walk-in-Interview alongwith their Original Certificates of Educational Qualification(s) Experience etc (with two photocopies of the same) and proof of their identity, as per schedule.


The prescribed qualification, remuneration and the detailed terms & conditions of appointment are attached herewith ~~to ensure eligibility.~~


Principal

27/6/2024

CC:

1. Notice Board of University Senior Secondary Model School, KUK
2. Director, Physical Education & Sports, KUK for wide publicity.
3. Director, I.T. Cell, KUK with the request to get it uploaded on University Website.


Principal

27/6/24

- 2) आवदेक संस्था के पास खेल विशेष का आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर व खेल उपकरण व उसी खेल का योग्य प्रशिक्षक तथा खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा होना अनिवार्य है।
- 3) संस्थाओं के घयन का आधार उन द्वारा नर्सरियों के खिलाड़ियों को फीस आदि में दी जाने वाली प्रस्तावित रियायत, उपलब्ध करवाए जाने वाले खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर व खेल उपकरण तथा यहां के प्रशिक्षकों की खेल उपलब्धियां होंगी। उस संस्थान द्वारा नर्सरी के खिलाड़ियों को दी जाने वाली रियायतों व सुविधाओं की सूचना इन संस्थानों की खेल नर्सरी में डिस्पले की जानी आवश्यक होगी।
- 4) निम्न संस्थानों को आबंटित नर्सरियों के खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, खिलाड़ियों के प्रदर्शन व उन द्वारा प्राप्त खेल उपलब्धि के आधार पर सत्र समाप्ति से पूर्व उसकी ग्रेडिंग जिला खेल अधिकारी द्वारा की जाएगी। संस्थानों हेतु ग्रेडिंग के मानदण्ड निम्नानुसार रहेंगे :-

i	Infrastructure and equipment made available to trainees (Max 10 Marks)	Level-I	10 Marks
		Level-II	8 Marks
		Level-III	6 Marks
		Level-IV	4 Marks
ii	Average attendance of the trainees (Max 10 Marks)	More than 90% working days	10 Marks
		More than 80% working days	8 Marks
		More than 70% working days	4 Marks
iii	Sports achievement of the trainees *(Max 12 Marks)	International Medal	12 Marks
		International Participation	9 Marks
		National Medal	8 Marks
		National Participation	5 Marks
		State Medal	4 Marks
		State Participation	1 Marks

*नोट- किसी एक स्तर को प्रतियोगिता में एकाधिक खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां होने पर भी उस श्रेणी से अधिकतम अंक नहीं दिए जाएंगे। उदाहरणतः राज्य स्तर पर 10 खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर भी अधिकतम अंक 4 ही दिए जाएंगे।

**Grade A= 29 or more marks, Grade B= 25 to 28 marks,
Grade C= 17 to 24 marks, Grade D = 16 or less marks.**

- 5) घयनित खेल नर्सरी आबंटित संस्थानों द्वारा खेल नर्सरी में हिदायतानुसार एक योग्य प्रशिक्षक को ही अंगेज किया जाएगा। प्रशिक्षक का मासिक मानदेय (शैक्षणिक योग्यता अनुसार 20,000/-रूपये अथवा 25,000/-रूपये प्रति माह) को दर से दिया जाएगा। विभाग इन प्रशिक्षकों के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6) खेल नर्सरी में प्रशिक्षक की नियुक्ति निम्न योग्यता अनुसार मैरिट आधार पर करना सुनिश्चित करें :-

1.	Diploma holders from NIS Patiala or any institute recognized by the Ministry of Youth Affairs & Sports as equivalent to NIS Patiala in the concerned game. Or Senior International Medalist in the concerned game.	Rs. 25000/- per month
2.	NIS Certificate Course in the concerned game. or M.P.Ed./D.P.Ed./B.P.Ed. In this case the person must also be a Sr. National/ All India Inter University Player in the concerned game. or Junior International Medalist in the concerned game with minimum qualification 10+2.	Rs. 20000/- per month

- 7) खेल नर्सरी प्रशिक्षक की नियुक्ति संबंधित संस्थान द्वारा की जाएगी। घयनित प्रशिक्षक की योग्यता की जाँच संबंधित स्कूल द्वारा जिला खेल अधिकारी से करवाई जाएगी। जिला खेल अधिकारी की जिम्मेदारी केवल यह सुनिश्चित करने की होगी कि नियम व शर्तों में उल्लिखित योग्यता अनुसार ही स्कूल द्वारा केवल योग्य प्रशिक्षक नियुक्ति किया है।
- 8) खेल नर्सरी प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान संबंधित स्कूल/संस्थान द्वारा खेल नर्सरी प्रशिक्षक तथा खिलाड़ियों की हाजरी सत्यापित करने उपरांत विभाग द्वारा प्रशिक्षकों के बैंक खातों में किया जाएगा। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रशिक्षकों को संबंधित संस्थाओं द्वारा ही अंगेज किया जाएगा व विभाग इनके प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- 9) मास में एक से अधिक दिन छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षक के मानदेय में अनुपातिक आकार पर कटौती की जाएगी। एक माह में दस दिन से अधिक छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर उस माह का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षक की छुट्टी की अवस्था में संस्थान का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान का शारीरिक शिक्षा का अध्यापक/प्रशिक्षक नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में रखेगा।